

परिषद के

मेरठ जोन

के अन्तर्गत

गाजियाबाद/ मेरठ/सहारनपुर में विभिन्न योजनाओं में रिक्त
आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी

आवंटन/ नीलामी तिथि:
02/03/2019

समय प्रातः 11:00 बजे

आवंटन/ नीलामी स्थल

सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3
जागृति विहार योजना, मेरठ



IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वसुन्धरा योजना/ सिद्धार्थ विहार/ मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में रिक्त आवासीय/ अनावासीय सम्पत्तियों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर
आवंटन/नीलामी स्थल : सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, जागृति विहार, योजना संख्या : 6, मेरठ
प्रातः 11.00 बजे

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद सेक्टर-15, शिखर इन्क्लेव आवासीय सम्पत्तियाँ

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य (रु० में)	टोकन मनी (रु० में)
02 बी.एच.के. (छठे तल से नवें तल तक) 12 नग	106.21	अनारक्षित	7713000.00	386000.00

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद (आवासीय भूखण्ड) (नीलामी से)

भूखण्ड की श्रेणी	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	भूखण्डों की संख्या	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य	टोकन मनी (रु० में)
आवासीय भूखण्ड	74.75 से 78.00 वर्गमी० तक	08	सामान्य	4441295.00 से 4953315.00 तक	444150.00 से 495350 तक

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद सेक्टर-4C, के दुर्बल आय वर्ग चार मंजिले आवासीय सम्पत्तियाँ

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य रु० लाख में	टोकन मनी रु० लाख में
4सी/4222, एफ-37 तृतीय तल	37.00	अनारक्षित	21.01	1.05

सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव के निस्तारीकरण से रिक्त चार मंजिला आवासीय सम्पत्तियाँ

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	क्षेत्रफल	फ्लैटों की संख्या	कुल मूल्य (रु० में)	टोकन मनी (रु० में)
भूतल	47.73	48	2763230.00	138200.00
प्रथम तल	47.73	25	2341230.00	117100.00
द्वितीय तल	47.73	46	2294230.00	114800.00
तृतीय तल	47.73	74	2248230.00	112500.00

सिद्धार्थ विहार योजना के गंगा यमुना हिण्डन अपार्टमेन्ट

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी.	कुल मूल्य (लाख में)	टोकन धनराशि (लाख में)	1 माह के अन्दर देय धनराशि (लाख में)	शेष 80% धनराशि 11.5% ब्याज सहित 120 मासिक किश्तें
हिण्डन अपार्टमेन्ट						
1 बीएचके	34	41.66 से 42.68	47.94	2.40	4.80	अवशेष की 120 किश्तें
2 बीएचके	122	66.64 से 67.39	73.61	3.68	7.36	तदैव
यमुना अपार्टमेन्ट						
3 बीएचके	121	108.32	95.95	4.80	9.60	तदैव
2 बीएचके + स्टडी	175	97.47 से 98.30	88.55	4.43	8.86	तदैव

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद (व्यावसायिक हॉल)

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य (रु० में)	टोकन मनी की धनराशि (रु०में)
व्यावसायिक हॉल 4A/H-1	2	96.09	सामान्य	6261000.00	626100.00
व्यावसायिक हॉल 4A/H-2		86.82	सामान्य	5657000.00	565700.00
व्यावसायिक हॉल 5/H-1	1	86.82	सामान्य	4552000.00	455200.00

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद (व्यावसायिक भूखण्ड)

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य (प्रति वर्ग मी०)	टोकन मनी की धनराशि (रु० में)
व्यावसायिक भूखण्ड	17/ कॉम-1 (कार्नर)	150.09	सामान्य	56672.00	851000.00
व्यावसायिक भूखण्ड	17/ कॉम-2	150.36	सामान्य	51520.00	775000.00
व्यावसायिक भूखण्ड	17/ कॉम-3	149.31	सामान्य	51520.00	770000.00
व्यावसायिक भूखण्ड	17/ कॉम-4	149.6	सामान्य	51520.00	771000.00

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद आवासीय फ्लैट आवंटन से

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	फ्लैटों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी.	तलवार	धनराशि रु० लाख में	पंजीकरण धनराशि ०५ प्रतिशत	एकमुश्त धनराशि १० प्रतिशत	रिमार्क
आसरा-१	१२४२	३३.५९	भूतल	१२.८६	६४३००.००	१२८६००.००	विविध शुल्क कार पार्किंग कारपर्स फण्ड व जी.एस.टी. अलग से देय होगी
			प्रथम तल	११.६२	५८१००.००	११६२००.००	
			द्वितीय तल	११.४८	५७४००.००	११४८००.००	
			तृतीय तल	११.३४	५६७००.००	११३४००.००	
आसरा-२	२४९	४७.७३	भूतल	२०.७८	१०३९००.००	२०७८००.००	
			प्रथम तल	१८.५७	९२८५०.००	१८५७००.००	
			द्वितीय तल	१८.३३	९१६५०.००	१८३३००.००	
			तृतीय तल	१८.०८	९०४००.००	१८०८००.००	
सपना-१	१६६	६४.७२	भूतल	३४.९७	१७९८५०.००	३५९७००.००	
			प्रथम तल	३२.८९	१६४४५०.००	३२८९००.००	
			द्वितीय तल	३२.६४	१६२७००.००	३२५४००.००	
			तृतीय तल	३२.२१	१६१०५०.००	३२२१००.००	
सपना-२	२११	८६.०४	भूतल	४७.२६	२३६३००.००	४७२६००.००	
			प्रथम तल	४३.२७	२१६३५०.००	४३२७००.००	
			द्वितीय तल	४२.८२	२१४१००.००	४२८२००.००	
			तृतीय तल	४२.३९	२११९५०.००	४३३९००.००	

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद आवासीय दुर्बल आय वर्ग फ्लैट

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मी.	भवनों की संख्या	तल	धनराशि रु० लाख में	पंजीकरण धनराशि ०५ प्रतिशत	एकमुश्त धनराशि १० प्रतिशत	रिमार्क
दुर्बल आय वर्ग	२८.४१	१२४	चार मजिले	५.७२	२९०००.००	५७२००.००	विविध शुल्क आदि अलग से होगा तथा -रु० १.०० लाख तक का आय प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत होना चाहिए

सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के आवंटन हेतु दुर्बल आय वर्ग भवनों के सम्बन्ध में आय सीमा-१०००००.०० तक

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मी.	भवनों की संख्या	तल	आरक्षित मूल्य (रु० में)	टोकन धनराशि ०५ प्रतिशत
अनारक्षित	३०.७२	९/३२४७	भूतल	१३८७५००.००	७००००.००
अनारक्षित	३०.७२	९/३१२७	द्वितीय तल	१०९२२२०.००	५५०००.००
अनारक्षित	३०.७२	९/३४५२	तृतीय तल	१०६४८००.००	५३५००.००

नियम एवं शर्तें :-

व्यावसायिक सम्पत्तियों में एफ.ए.आर संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्डों के एफ.ए.आर एवं सम्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है।

सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/ परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेंगी इच्छुक केताओं को अनावसीय सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य की टोकन धनराशि उपरोक्तानुसार एवं कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तदनुसार बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा कोई पे आर्डर जो कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद के पक्ष में देय ही आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं सील्ड बिड कार्यालय कार्य दिवस में नीलामी से पूर्व दिनांक.....तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में दी जा सकती है। टोकन दिनांक.....को प्रातः 10 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या में कमी तथा क्षेत्रफल में कमी व वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक भूखण्डों में आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा उ०प्र० सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति नीलामी से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

आवासीय सम्पत्तियों की एफ०ए०आर आदि की जानकारी वास्तुविद नियोजक इकाई-5, उ०प्र० आवास विास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है

आवासीय सम्पत्ति के आवेदकों को अपने आवेदन पत्र केसाथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके पति/पत्नी अवयस्क बच्चों के पास कोई भवन/भूखण्ड गाजियाबाद शहर में नहीं है तथा उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक भवन भूखण्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का०.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा श्रेणी में वांछित एकमुश्त धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प कार्यालय ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से दिया जायेगा। आवेदन पत्र रु०10०.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सेक्टर-16ए, वसुन्धरा कॉम्पलेक्स हॉल एस-1 गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं। तथा आवंटन से पूर्व दिनांक.....को अपराह्न 3.00 बजे तक सहमति प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सम्पत्ति का आवंटन नीलामी सम्पन्न होने के उपरान्त किया जायेगा। आवंटन स्थल पर आवंटन हेतु आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं है ऐसे आवेदन पत्रों को आगामी आवंटन में शामिल किया जा सकेगा। आसरा, सपना,गंगा, यमुना, हिण्डन, परियोजनाओं में पार्किंग शुल्क, कार्पस शुल्क, कार्पस फण्ड, जी. एस.टी. पृथक से कब्जा पूर्व देय होगी। आसरा, सपना के भवनों में कार्पस फण्ड अलग से देय होगा।

दुर्बल आय वर्ग हेतु आवेदक की गत वित्तीय वर्ष आय रु० 10००००.00 के अन्तर्गत होनी चाहिये, उ०प्र० का निवासी होना चाहिये। आय के सम्बन्ध में उ०प्र० सरकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व रु० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर गाजियाबाद में कोई भवन/भूखण्ड न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मण्डोला योजना के सभी दुर्बत आय वर्ग के भवनों के तलों का मूल्य समान है। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा एवं सम्पत्ति का कब्जा 10 प्रतिशत एक मुश्त लेने के बाद दिया जायेगा। शेष धनराशि का भुगतान 9.5 प्रतिशत ब्याज सहित 180 किश्तों में देय होगा। किसी भी विवाद की दशा में अवास आयुक्त वर्ग.मी. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

रिट याचिका संख्या 16355/2018 में मा० उच्च न्यायलय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2018 के अनुपालन में वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में पंजीकृत विस्थापित श्रेणी आवेदकों के पक्ष में छोटे व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी पुनः प्रस्तावित है। वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी के किसानों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने वाले छोटे व्यावसायिक भूखण्डों की सूची

वसुंधरा योजना गाजियाबाद में छोटे व्यावसायिक भूखण्ड नीलामी से

क्रम सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	कार्नर	आरक्षित मूल्य प्रति वर्ग मी.	कुल मूल्य	उच्चतम बोली दाता द्वारा 10 प्रतिशत टोकन धनराशि जो 15 दिवसों में देय होगी पंजीकरण धनराशि रु० 5०००.०० के समायोजन के उपरान्त जमा करनी होगी।
1	3/SP-1	15.99		114668	1833861	178386
2	3/SP-2	15.99		114668	1833861	178386
3	3/SP-3	15.99		114668	1833861	178386
4	3/SP-4	15.99		114668	1833861	178386
5	3/SP-5	15.99		114668	1833861	178386
6	3/SP-6	26.11	C	126157	3293959	324396
7	3/SP-7	26.11	C	126157	3293959	324396
8	3/SP-8	15.99		114688	1833861	178386
9	3/SP-9	15.99		114688	1833861	178386
10	3/SP-10	15.99		114688	1833861	178386
11	3/SP-11	15.99		114688	1833861	178386
12	3/SP-12	15.99		114688	1833861	178386
13	4B/SP-1	23.375	C	139709	3265698	321570
14	4B/SP-2	17.05		127008	2165486	211549
15	4B/SP-3	17.05		127008	2165486	211549
16	4B/SP-4	17.05		127008	2165486	211549
17	4B/SP-5	29.28		127008	3718794	366879
18	4B/SP-6	29.28		127008	3718794	366879
19	4B/SP-7	17.05		127008	2165486	211549
20	4B/SP-8	17.05		127008	2165486	211549
21	4B/SP-9	17.05		127008	2165486	211549
22	4B/SP-10	23.375	C	127008	3165698	321570

23	4B/SP-11	23.375	C	139709	3265698	321570
24	4B/SP-12	17.05		127008	2165486	211549
25	4B/SP-13	17.05		127008	2165486	211549
26	4B/SP-14	17.05		127008	2165486	211549
27	4B/SP-15	17.05		127008	2165486	211549
28	4/SP-1	16.05		127008	2095632	204563
29	4/SP-2	16.05		127008	2095632	204563
30	4/SP-3	16.05		127008	2095632	204563
31	4/SP-4	16.05		127008	2095632	204563
32	4/SP-5	16.05		127008	2095632	204563
33	4/SP-6	16.05	C	139709	2305199	225520
34	4/SP-7	16.05	C	139709	2305199	225520
35	4/SP-8	16.05		127008	2095632	204563
36	4/SP-9	16.05		127008	2095632	204563
37	4/SP-10	16.05		127008	2095632	204563
38	4/SP-11	16.05		127008	2095632	204563
39	4/SP-12	16.05		127008	2095632	204563
40	4/SP-13	16.05	C	139709	2305199	225520
41	4/SP-14	16.05		127008	2095632	204563
42	4/SP-15	16.05		127008	2095632	204563
43	4/SP-16	16.05		127008	2095632	204563
44	4/SP-17	16.05		127008	2095632	204563
45	4/SP-18	16.05	C	139709	2305199	225520
46	4/SP-19	16.05	C	139709	2305199	225520
47	4/SP-20	16.05		127008	2095632	204563
48	4/SP-21	16.05		127008	2095632	204563
49	4/SP-22	16.05		127008	2095632	204563
50	4/SP-23	16.05		127008	2095632	204563
51	4/SP-24	16.05	C	139709	2305199	225520
52	4/SP-25	16.05	C	139709	2305199	225520
53	4/SP-26	16.05		127008	2095632	204563
54	4/SP-27	16.05		127008	2095632	204563
55	4/SP-28	16.05		127008	2095632	204563
56	4/SP-29	16.05		127008	2095632	204563
57	4/SP-30	16.05		127008	2095632	204563
58	4/SP-31	16.05		127008	2095632	204563
59	4/SP-32	16.05		127008	2095632	204563
60	4/SP-33	16.05	C	139709	2305199	225520
61	4/SP-34	16.05	C	139709	2305199	225520
62	4/SP-35	16.05		127008	2095632	204563
63	4/SP-36	16.05		127008	2095632	204563
64	4/SP-37	16.05		127008	2095632	204563
65	4/SP-38	16.05		127008	2095632	204563
66	4/SP-39	16.05		127008	2095632	204563
67	4/SP-40	16.05		127008	2095632	204563
68	4/SP-41	16.05		127008	2095632	204563
69	4/SP-42	16.05	C	139709	2305199	225520
70	4/SP-43	16.05	C	139709	2305199	225520
71	4/SP-44	16.05		127008	2095632	204563
72	4/SP-45	16.05		127008	2095632	204563
73	4/SP-46	16.05		127008	2095632	204563
74	4/SP-46	16.05		127008	2095632	204563

75	4/SP-48	23.375		127008	2095632	204563
76	4/SP-49	17.05		127008	2095632	204563
77	4/SP-50	17.05		127008	2095632	204563
78	4/SP-51	17.05		127008	2095632	204563
79	4/SP-52	17.05		127008	2095632	204563
80	4/SP-53	16.05		127008	2095632	255520
81	4/SP-54	16.05	C	139709	2305199	255520
82	4/SP-55	16.05	C	139709	2305199	204563
83	4/SP-56	16.05		127008	2095632	204563
84	4/SP-57	16.05		127008	2095632	204563
85	4/SP-58	16.05		127008	2095632	204563
86	4/SP-59	16.05		127008	2095632	204563
87	4/SP-60	16.05		127008	2095632	204563
88	4/SP-61	16.05		127008	2095632	204563
89	4/SP-62	16.05		127008	2095632	204563
90	4/SP-63	16.05		127008	2095632	204563
91	4/SP-64	16.05		127008	2095632	204563
92	4/SP-65	16.05		127008	2095632	204563
93	4/SP-66	16.05	C	139709	2305199	255520
94	4/SP-67	16.05	C	139709	2305199	255520
95	4/SP-68	16.05		127008	2095632	204563
96	4/SP-69	16.05		127008	2095632	204563
97	4/SP-70	16.05		127008	2095632	204563
98	4/SP-71	16.05		127008	2095632	204563
99	4/SP-11	16.05		127008	2095632	204563
100	4/SP-72	16.05		127008	2095632	204563
102	4/SP-73	16.05		127008	2095632	204563
103	4/SP-74	16.05		127008	2095632	204563
104	4/SP-75	16.05		127008	2095632	204563
105	4/SP-76	16.05		127008	2095632	204563
106	4/SP-77	16.05		127008	2095632	204563
107	4/SP-78	16.05		127008	2095632	204563
108	4/SP-79	16.05		127008	2095632	204563
109	4/SP-80	16.05		127008	2095632	204563
110	4/SP-81	16.05		127008	2095632	204563
111	4/SP-82	16.05		127008	2095632	204563
112	4/SP-83	16.05		127008	2095632	204563
113	4/SP-84	16.05		127008	2095632	204563
114	4/SP-85	16.05		127008	2095632	204563
115	4/SP-86	16.05		127008	2095632	204563
116	4/SP-87	16.05		127008	2095632	204563
117	4/SP-88	16.05	C	139709	2305199	255520
118	4/SP-89	16.05	C	139709	2305199	255520
119	4/SP-90	16.05		127008	2095632	204563
120	4/SP-91	16.05		127008	2095632	204563
121	4/SP-92	16.05	C	139709	2305199	255520
122	6/SP-93	23.375	C	139709	2305199	231570
123	6/SP-94	17.05		127008	2095632	215549
124	6/SP-95	17.05		127008	2095632	215549
125	6/SP-96	17.05		127008	2095632	215549
126	6/SP-97	33.945		127008	2095632	215549
127	6/SP-98	33.945		127008	2095632	215549

128	6/SP-7	17.05		127008	2165486	215549
129	6/SP-8	17.05		127008	2165486	215549
130	6/SP-9	17.05		127008	2165486	215549
131	6/SP-10	23.375	C	139709	3265698	321570
132	6/SP-11	23.375	C	139709	3265698	321570
133	6/SP-12	17.05		127008	2165486	215549
134	6/SP-13	17.05		139709	2165486	215549
135	6/SP-14	17.05		139709	2165486	215549
136	6/SP-15	17.05		127008	2165486	215549

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के पूर्व पंजीकृत विस्थापित किसानों के मध्य छोटे व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी से निस्तारण हेतु नीलामी हेतु प्रमुख शर्तें।

नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकृत विस्थापित किसान को नीलामी के आवेदन पत्र के साथ मूलरूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र व चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही नीलामी हेतु टोकन प्राप्त कर नीलामी में भाग ले सकेंगे। नीलामी स्थल पर केवल पंजीकृत आवेदक ही नीलामी हॉल में प्रवेश के पात्र होंगे। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को नीलामी स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उच्चतम बोली दाता को सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जिसमें पंजीकरण धनराशि ₹ 5000.00 के उपरोक्त शेष धनराशि बोली की तिथि से अगले 15 बैंक कार्य दिवस में परिषद द्वारा अधिकृत एच.डी.एफ.सी. बैंक, सेक्टर-15, वसुन्धरा, गाजियाबाद के खाता संख्या 50200027589241 में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर उसकी सूचना। निर्धारित अवधि में 10 प्रतिशत धनराशि जमा न होने की दशा में पंजीकरण धनराशि ₹ 5000.00 व उस पर अर्जित व्याज जब्त करते हुए पंजीकरण व नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

“

विस्तृत जानकारी के लिये कृपया परिषद के

टोल फ्री **1800-180-5333**

दूरभाष **0522-2236803**

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट
पर लॉगिन करें।

”

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

वेबसाइट : <http://www.upavp.in> ई-मेल : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

